

24

बाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 26.7.24 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

26

पत्रावली नेश। इर् वकील प्रार्थना उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाण पठ किये गये। विपक्षीगण को कितकी मर्तवा धारादेदिलायी जाने के बाद भी अनुपस्थित। वकील प्रार्थना का प्राणपत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पत्रक से लिखा जाकर शाण पठ किया गया। पत्रावली फलतः श्रुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठारीन अधिकारी- मगोज, आर.ए.एस

मुकदमा संख्या - 264/24 प्रा.पत्र

1- श्री उदयलाल सो. श्री लक्ष्मी दयोग जिवारी- लिरडिया तहसील (कोरा)

बनाम

1- श्री अमरचन्द सो. श्री कोरा प्रजापत जिवारी- लिरडिया तहसील (कोरा)
[प्रहरीकित गांधी राजमार्ग]

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956

दिनांक- 26.7.24

::आदेश:

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लिरडिया पटवार हल्का बावडी तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 900, 901, 913 कुल कित्ता 03 रकबा 2-2511 हेक्टेयर स्थित है। बादप्रस्त भूमि के विपक्षीयता के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आधे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.7.24 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि बादप्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त बगश्त की होने से पत्थरगढी बनाने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश:

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लिरडिया पटवार हल्का बावडी तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 900, 901, 913 कुल कित्ता 03 रकबा 2-2511 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुष्टता जांचकर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षण मेजा को 1000 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिनिधि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा